NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Times of India, Online News, 15/06/2026

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/udf-launches-legal-offensive-against-pranit-more-and-show-organisers-moves-nhrc-over-human-dignity-concerns/articleshow/131732195.cms

UDF launches legal offensive against Pranit More and show organisers, moves NHRC over cadaver-related dignity concerns
TOI Education | Jun 15, 2026, 08.55 AM IST

NEW DELHI: The United Doctors Front (UDF) has escalated its response to a recent controversy involving stand-up comedian Pranit More by initiating a multi-pronged legal campaign. The doctors' body has served a formal legal notice to More and the organisers of the comedy show while simultaneously approaching the National Human Rights Commission (NHRC) with a Public Interest Representation-cum-Petition, urging the Commission to take suo motu cognizance of the matter.
The move marks a significant development in the growing debate over the boundaries of freedom of expression, ethical responsibility in digital entertainment, and the impact of viral content on public institutions and social values.
Legal Notice Demands Removal of Content and Public Apology
According to UDF, the legal notice seeks the immediate removal of videos that it describes as objectionable and harmful. The organisation has also demanded an unconditional public apology from those responsible and called for an end to content that allegedly demeans the dignity of women, trivialises deceased individuals, and undermines public trust in the medical profession.
UDF clarified that its action is not aimed at individuals who may have already expressed regret over the incident, nor is it intended to interfere with any proceedings currently before competent authorities. Instead, the organisation stated that its primary concern lies with digital entertainment platforms and event organisers that repeatedly commercialise controversial content for publicity and financial gain.
The doctors' body argued that creators and platforms with large audiences have a responsibility to ensure that content does not compromise public morality, social sensitivity, or constitutional values.
Concerns Over Cadaver-Related Remarks and Medical Education
A key point of concern for UDF is the circulation of remarks related to cadavers used in medical education. The organisation stressed that every cadaver represents an individual who voluntarily donated their body for the advancement of medical science and education.

Medical institutions across the country rely on body donation programmes to train future healthcare professionals. UDF warned that insensitive jokes or commentary about cadavers could discourage citizens from participating in organ and whole-body donation initiatives at a time when the Government of India is actively promoting such programmes.

The organisation noted that maintaining respect for deceased persons is essential not only from an ethical perspective but also for sustaining public confidence in medical education and healthcare systems.

NHRC Petition Seeks Wider Examination of Human Rights Impact

In its petition before the NHRC, UDF has requested a broader examination of the human rights implications arising from recurring controversial content across digital platforms. The representation calls upon the

Commission to assess the impact of such content on the dignity of women, respect for deceased individuals, and public confidence in organ and body donation programmes.

Dr. Lakshya Mittal, Chairperson of United Doctors Front, said that the issue extends beyond comedy itself and concerns the repeated monetisation of content that normalises disrespect and erodes public trust.

“Freedom of expression cannot become a licence to commercialise content that normalises disrespect towards women, deceased persons or the medical profession. Our concern is not comedy; our concern is the repeated monetisation of content that erodes constitutional values, human dignity and public confidence in nationally promoted initiatives such as organ and body donation,” he stated.

As discussions around digital accountability continue to intensify, the NHRC’s response to the petition could potentially shape future conversations on the balance between creative freedom, commercial entertainment, and the protection of human dignity in the digital age.

Source: https://kmsnews.org/kms/2026/06/14/rights-commission-takes-cognisance-of-attacks-on-kashmiri-shawl-sellers.html

Home→India→Rights commission takes cognisance of attacks on Kashmiri shawl sellers

India
Rights commission takes cognisance of attacks on Kashmiri shawl sellers
June 14, 2026Last Updated: June 14, 2026

New Delhi : The New Delhi-based Human Rights Commission has taken cognisance of incidents of harassment and attacks against Kashmiri shawl sellers and students in different parts of India.

According to Kashmir Media Service, the Commission has registered a case based on a complaint filed by the Jammu and Kashmir Students Association (JKSA) concerning incidents of intimidation, harassment, discrimination, and physical assaults faced by Kashmiri shawl sellers and students across several states.

The complaint was filed earlier this year following a series of incidents reported from Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Delhi, Maharashtra, and Uttar Pradesh. It documented instances in which Kashmiri shawl sellers were allegedly assaulted, threatened, humiliated, prevented from carrying out their trade, and, in some cases, forced to leave areas where they had been living and working peacefully for decades.

Source: https://www.tribuneindia.com/news/haryana/public-health-system-falters-private-hospitals-fill-the-void/

Haryana: Public health system falters, private hospitals fill the void

From rat-infested mortuaries to vaccine shortages, recurring failures expose deep cracks in state's public healthcare system
Deepender Deswal
Updated At : 07:06 AM Jun 15, 2026 IST

Repeated incidents of negligence in Haryana's government hospitals — from rats nibbling bodies in mortuaries at Hisar and Jind to the shortage of life-saving anti-rabies vaccine allegedly leading to a patient's death in Sonepat and non-functional ambulances in Jhajjar — have highlighted systemic shortcomings that continue to weaken public confidence in the state's healthcare system.

With government healthcare facilities struggling across several districts, poor infrastructure, manpower shortages and administrative lapses have created space for private hospitals to thrive. The biggest sufferers are poor patients who are often forced to seek expensive treatment in private hospitals, paying far beyond their means.

The National Human Rights Commission (NHRC) has also taken note of the situation, issuing at least three notices to Haryana authorities since September 2025 over alleged medical negligence and poor hospital conditions, including treatment-related lapses in Faridabad, rats feeding on bodies in a Jind hospital and the death of a dog-bite victim reportedly linked to the non-availability of anti-rabies vaccine.

The Civil Hospital in Hisar, functioning from a building established in 1957, has once again come under scrutiny after another body was found nibbled by rats. Even as nearly 50 private hospitals have come up in Hisar city over the years, government healthcare infrastructure has failed to keep pace.

Healthcare activist Satish Chopra of Faridabad, who leads the Refer Mukta Sangharsh Samiti and has undertaken a cycle yatra across Haryana to highlight poor public healthcare, said the problem was widespread. Chopra, who also staged a 294-day dharna in Faridabad, said, "Primary Health Centres, Community Health Centres and even civil hospitals have become mere referral centres. The government has promised trauma centres in 14 districts, but none exists today. There is a shortage of around 500 doctors in government hospitals. There is not a single super-specialist doctor in government facilities up to the civil hospital level. Cancer units exist, but there is no oncologist. This summarises Haryana's healthcare."

He said, "Patients end up paying nearly 10 times more in private hospitals. Families often have to sell their property to afford treatment for serious cardiac, neurological or gastrointestinal illnesses."

Social activist Dr Ramesh Punia alleged that the neglect of government hospitals had benefited private healthcare providers. "An influential lobby was playing a key role in keeping government medical facilities under-utilised," he claimed.

Quoting the Bhore Committee recommendations, Dr Punia said Haryana should have about 1.77 lakh government hospital beds and over 19,000 medical officers. However, a 2018 Union Health Ministry report recorded only 13,841 government beds. He argued that despite a healthcare allocation of Rs 14,007.29 crore for 2026-27, public hospitals remained far behind the private sector. He also alleged that the Ayushman Bharat scheme had been misused by private hospitals, citing investigations by the Chief Minister’s Flying Squad.

Director General, Health, Dr Manish Bansal, said action had been initiated in the Hisar mortuary incident. He acknowledged the shortage of doctors and said recruitment of doctors and specialists was underway across the state.

Nagaland Post, Online News, 15/06/2026

Source: https://nagalandpost.com/ura-zuveh-foundation-holds-human-rights-training-at-chesezu/

Ura Zuveh Foundation holds human rights training at Chesezu
June 15, 2026

DIMAPUR: Ura Zuveh Foundation, in collaboration with the National Human Rights Commission (NHRC), organised a one day basic training programme on human rights at Chesezu village, Phek district on June 13, 2026. Themed "Children and Elderly Rights: Human Rights Living in Rural Communities", the programme saw participation from school teachers, village leaders, students and youth leaders. Resource persons included Sekhotso Rokha, Retainer Lawyer, Phek District Legal Services Authority (DLSA), and Vethothi Vero, Chief Legal Aid Defense Counsel, DLSA Phek.

According to publicity secretary Vesukho Swuro, the training focused on awareness of rights of children and elderly persons in rural areas, legal safeguards and mechanisms for accessing justice. Four sessions covered topics such as introduction to human rights, POCSO Act, Juvenile Justice Act, child labour laws, reporting mechanisms, rights of elderly under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, and community based grievance redressal.

The programme emphasized the role of DLSA and legal aid services in ensuring protection and access to justice for vulnerable groups.

Source: https://www.tribuneindia.com/news/j-k/nhrc-takes-cognisance-of-attacks-on-kashmiri-students-businessmen/amp

NHRC takes cognisance of attacks on Kashmiri students, businessmen
Our Correspondent
Srinagar, Updated At : 11:26 AM Jun 14, 2026 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of alleged incidents of harassment, discrimination and attacks on Kashmiri shawl sellers and students in different parts of the country, the Jammu and Kashmir Students Association (JKSA) said on Saturday.

In a statement, the association said the Commission had registered a case based on a complaint filed by JKSA regarding incidents of intimidation, harassment, communal profiling and physical assaults allegedly faced by Kashmiri traders and students across several states.

According to JKSA, the complaint was submitted earlier this year by its national convenor, Nasir Khuehami, following reports of incidents from Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Delhi, Maharashtra and Uttar Pradesh.

“The complaint documented instances in which Kashmiri shawl sellers were allegedly assaulted, threatened, humiliated, prevented from carrying out their trade and, in some cases, forced to leave areas where they had been living and working peacefully for decades. Several Kashmiri students also reported denial of accommodation, communal profiling, intimidation and physical threats,” the association said.

JKSA said the development comes months after Kashmiri students and traders were allegedly subjected to repeated acts of violence, harassment and discrimination in different states.

“Despite repeated representations made by JKSA to various state administrations and law enforcement agencies, many affected individuals continued to live under fear and uncertainty, with several traders reportedly compelled to discontinue their businesses and return home,” the statement said.

The association said the NHRC is expected to issue notices to the concerned state governments and seek detailed reports from the respective administrations and police authorities on the incidents highlighted in the complaint.

The reports are likely to include details regarding FIRs registered, arrests made, action taken against the accused, preventive measures adopted by authorities and steps taken to ensure the safety and security of Kashmiri students and traders residing in those states.

Source: https://freepresskashmir.news/2026/06/14/nhrc-takes-cognisance-of-attacks-on-kashmiri-students-shawl-sellers-jksa/amp/

NHRC takes cognisance of attacks on Kashmiri students, shawl sellers: JKSA
By News Desk Posted on 14 June 2026

Srinagar: The Jammu and Kashmir Students Association (JKSA) has said that the National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of its complaint regarding alleged harassment, discrimination and attacks on Kashmiri students and shawl sellers in several states and has registered a case to examine the matter.

In a statement, a spokesperson said the NHRC on Saturday took cognisance of incidents of harassment and attacks against Kashmiri shawl sellers and students in different parts of the country.

The Commission has registered a case (Case No. 684/90/0/2026) on a complaint filed by the JKSA concerning incidents of intimidation, harassment, discrimination and physical assaults allegedly faced by Kashmiri shawl sellers and students across several states in India.

He said the complaint was filed earlier this year by JKSA National Convenor Nasir Khuehami following a series of incidents reported from Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Delhi, Maharashtra and Uttar Pradesh.

“The complaint documented instances in which Kashmiri shawl sellers were allegedly assaulted, threatened, humiliated, prevented from carrying out their trade and, in some cases, forced to leave areas where they had been living and working peacefully for decades.”

The spokesperson said several Kashmiri students also reported incidents of denial of accommodation, communal profiling, intimidation and physical threats.

He said earlier, the NHRC had acknowledged the complaint and assigned it Diary No. 4836/CR/2026, confirming that the matter had been formally taken on record. The registration of Case No. 684/90/0/2026 marks a significant step in the Commission’s examination of the concerns raised by the Association.

“This development comes months after Kashmiri students and shawl sellers were subjected to repeated acts of violence, harassment, intimidation and discrimination in different states. Despite repeated representations made by JKSA to various state administrations and law enforcement agencies, many affected individuals continued to live under fear and uncertainty, with several traders reportedly compelled to discontinue their businesses and return home.”

The Association stated that the Commission will issue notices to the concerned state governments and seek detailed reports from the respective administrations and police authorities regarding the incidents highlighted in the complaint. These reports are likely to include the status of FIRs registered, arrests made, action taken against the accused, measures adopted to prevent such incidents and steps undertaken to ensure the safety and security of Kashmiri students and traders residing in those states.

The Association expressed hope that the Commission would thoroughly examine the circumstances surrounding

these incidents and recommend appropriate measures to safeguard the safety, dignity, livelihood and constitutional rights of Kashmiri citizens residing and working outside Jammu and Kashmir.

The Association further urged the Commission to ensure accountability in cases where there have been lapses in responding to complaints and protecting vulnerable individuals. The Association reiterated that Kashmiris are equal citizens of India and are entitled to the same rights, freedoms and protections guaranteed under the Constitution. Violence, discrimination, intimidation or social exclusion against any citizen on the basis of identity, region, religion or attire have no place in a democratic and constitutional society governed by the rule of law, it added. (KNO)

Source: https://sharpbharat.com/jamshedpur-court-big-order-bistupur-tm-jewellers-owner-milan-adesara-his-nephew-and-others-face-murder-charges/

Home खबर

Jamshedpur court big order : जमशेदपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, बिष्टुपुर टीएम ज्वेलर्स के मालिक मिलन अडेसरा, भतीजे समेत अन्य पर चलेगा हत्या का मुकदमा, 19 साल की लड़ाई के बाद हत्या के मामले को माना सही, सेवानिवृत पुलिस पदाधिकारी सकलदेव राम पर सेवा में रहते लगे थे गंभीर आरोप, यह है पूरा मामला

15 Jun 2026 03:11:08 UTC

जमशेदपुर : 19 वर्षों के बाद अदालत ने साबित किया कि अजय बर्मन की जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीएम ज्वेलर्स के मालिक मिलन अडेसरा, उसके भतीजे संदीप अडेसरा, उनके स्टाफ और भाड़े के गुंडों ने मिलकर हत्या की थी. जमशेदपुर कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार की अदालत ने मिलन अडेसरा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (2) के अंतर्गत 20 सितंबर 2025 को संज्ञान लिया और हत्या के अभियुक्तों को 18 अक्तूबर 2025 को अदालत में हाजिर होने को कहा. ज्ञातव्य है कि 24 वर्षीय अजय बर्मन पेशे से सोनार थे और अपने चाचा के साथ बिष्टुपुर स्थित छगन लाल ज्वेलर्स में लगभग 9 से 10 वर्षों तक सोने की कारीगरी सीखने के बाद अपने घर पर ही सोने और चांदी के गहने बनाने का काम शुरू किया और घटना के दिन 11 मई 2007 को अपने बकाये पैसे लेने के लिए टीएम ज्वेलर्स की दूसरी शाखा में गया था, जो जमशेदपुर के गोलमुरी आकाशदीप प्लाजा में अवस्थित है. परिवारवालों का और उसके साथ गये एक साथी के अनुसार अजय बर्मन लगभग एक घंटे तक अपने बकाए पैसे लेने के लिए उक्त दुकान में बैठा रहा और फिर जब दुकान से ग्राहक चले गये तब मिलन अडेसरा, संदीप अडेसरा, दुकान के स्टाफ और कुछ भाड़े के बुलाए गये गुंडों ने सीसीटीवी बंद कर अजय बर्मन को मारना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने स्टील का स्टूल उठाकर उसके सिर के नीचे कनपटी के पास मारा जिससे वह नीचे गिर गया. उसके बाद मिलन अडेसरा, संदीप अडेसरा, दुकान के स्टाफ और कथित गुंडे अजय बर्मन को घसीटते हुए पार्किंग की जगह ले गये.

मिलन अडेसरा ने सिदगोड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी सकल देव राम को फोन पर सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया और अजय बर्मन की लाश को सकलदेव राम और अन्य थाना अध्यक्षों और पुलिस वालों को सौंप दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस के आने के पहले ही अजय बर्मन की मौत हो चुकी थी. ज्ञातव्य है कि इस घटना पर दो एफआईआर दर्ज हुआ था. एक मिलन अडेसरा द्वारा 73/2007 और पुलिस द्वारा 74/2007 का केस दर्ज किया गया था. ज्ञातव्य है कि दोनों एफआईआर एक दूसरे की छाया प्रतियां थी और आरोप है कि सिदगोड़ा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सकलदेव राम ने अजय बर्मन के परिवार वालों के एफआईआर को गायब कर दिया था. ज्ञातव्य है कि पुलिस और मिलन अडेसरा दोनों के एफआईआर में यह दावा किया गया था कि अजय बर्मन, रिजवान के नाम से एक बम और एक रिवाल्वर के साथ टीएम ज्वेलर्स में रंगदारी वसूलने अकेले गया था. जब उसने रंगदारी मांगी तब दुकान में मौजूद लोगों ने नाराज होकर उसे पकड़ लिया और मारपीट करने लगे. उसे पार्किंग स्थल पर ले गये जहां शोर शराबा सुनकर 250-300 लोग जमा हो गये और उन लोंगो ने अजय बर्मन को पीट पीट कर मार डाला. अजय बर्मन के परिवारवालों ने इस घटना की जांच करने के लिए लोक स्वातंत्र्य संगठन (पीयूसीएल) से आग्रह किया. पीयूसीएल ने अपनी जांच में पाया कि अजय बर्मन अपना बकाया मांगने गया था जहां मिलन अडेसरा, संदीप अडेसरा, दुकान के स्टाफ और भाड़े के बुलाए गुंडों ने उसे सीसीटीवी बंद कर दुकान के भीतर ही मारपीट कर अधमरा कर दिया, जिससे उसकी पार्किंग स्थल तक लाते-लाते मौत हो गयी. पीयूसीएल की जांच में यह भी पता चला कि वहां 250-300 लोगों की कोई भीड़ जमा नहीं हुई थी और उसे किसी भीड़ ने नहीं मारा.

पीयूसीएल ने यह भी खुलासा किया था कि अजय बर्मन को टीएम ज्वेलर्स वाले पहले से जानते थे क्योंकि उसने छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्टुपुर में कारीगरी सीखी थी जिसके ठीक बगल में बिस्टुपुर की मुख्य सड़क की दूसरी तरफ टीएम ज्वेलर्स की दूकान है. यह खुलासा भी हुआ कि अजय बर्मन काफी दिनों से टी एम ज्वेलर्स का माल बना रहा था. पीयूसीएल ने अपनी रपट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी और मानवाधिकार आयोग ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की. मानवाधिकार आयोग को भेजे अपनी रपट में जिला पुलिस ने खुलासा किया कि सीसीटीवी की जांच में कोई बम या रिवाल्वर दिखाई नहीं दिया और सीसीटीवी को अजय बर्मन के साथ मारपीट करने से पहले बंद कर दिया गया था. पोस्टमार्टम की रपट भी पुलिस और मिलन अडेसरा की एफआईआर को झूठा साबित कर रही थी. ज्ञातव्य है कि तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी सकलदेव राम ने अभियुक्तों साथ सांठ-गांठ कर अदालत में 30 अक्तूबर 2010 को एफआरटी (कोई तथ्य केस में नहीं बताते हुए केस को बंद करने का याचिका) दायर किया और मामले को 22 फरवरी 2022 को खारिज करवा दिया. ज्ञातव्य है कि इस दौरान अदालत से मृतक के परिवारवालों को कोई सम्मन नहीं मिला ना ही सकलदेव राम या किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी ने उन्हें उनका बयान लेने के लिए बुलाया. खोजबीन करने पर पता चला कि और आरोप लगाया गया कि पुलिस पदाधिकारी सकलदेव राम और अभियुक्तों ने मिलकर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय से उक्त मामले का ऑडर सीट ही गायब करवा दिया था.

पीयूसीएल के लोगों ने उसके बाद अपने दस्तावेजों और जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय से मिले गिने चुने आदेशों के माध्यम से उच्च न्यायालय में एफआरटी को एक रिट (डब्ल्यूपी सीआर 472/2017) दायर कर चुनौती दी. अदालत ने 13 अप्रैल 2018 के अपने आदेश द्वारा एफआरटी को अवैध करार करते हुए पीटिशनर को कमप्लेन पिटीशन दायर करने को कहा. इस पीटिशन को कोर्ट के मजिस्ट्रेट एकता सक्सेना ने 10 अप्रैल 2024 को तकनीकि कारणों से खारिज कर दिया जिसे रिवीजन में माननीय सेशंस कोर्ट ने अवैध करार दिया और फिर लंबी अदालती प्रकिया के बाद अदालत ने अजय बर्मन की हत्या को हत्या करार दिया और मिलन अडेसरा और अन्य को हत्या के अपराध का जिम्मेदार बताया. इस मामले की पैरवी परिजनों की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, अमिताभ कुमार, मंजरी सिन्हा और निर्मल घोष ने की. ज्ञातव्य हो कि अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और अधिवक्ता अमिताभ कुमार इस मामले को पिछले 19 वर्षों से देख रहे थे और दोनों अधिवक्ताओं ने अदालत द्वारा 19 सालों के बाद दिये गये इस आदेश पर संतोष व्यक्त किया और अदालत की सराहना की.

Source: https://newstrack.com/uttar-pradesh/banda/banda-news-18-child-bonded-labourers-rescued-from-rajasthan-haryana-brick-kilns-608065

Banda News: कर्ज के जाल में फंसे मजदूरों को मिली राहत, 18 लोग बंधन से मुक्त

Banda News: राजस्थान और हरियाणा के ईंट भट्ठों से मुक्त कराए गए बांदा के 18 बाल एवं बंधुआ मजदूर, पुनर्वास और प्रमाण पत्र का इंतजार।
By Anwar Raza Published on: 15 June 2026 8:12 AM

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के 18 बाल एवं बंधुआ मजदूरों को राजस्थान और हरियाणा के ईंट भट्ठों से मुक्त कराया गया है। असंगठित मजदूर मोर्चा और लेबर डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रयासों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को छुड़ाया। मुक्त कराए गए सभी मजदूर अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और लंबे समय से कथित रूप से बंधक बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था।

राजस्थान और हरियाणा के भट्ठों से छुड़ाए गए मजदूर
जानकारी के अनुसार 6 मजदूर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की रावला मंडी स्थित गणेश ब्रिक्स कंपनी से मुक्त कराए गए, जबकि 12 मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जाडरा गांव स्थित भगत जी ईंट भट्ठा से आजाद हुए। आरोप है कि दोनों स्थानों पर मजदूरों से जबरन काम कराया जा रहा था और उन्हें घर लौटने की अनुमति नहीं दी जा रही थी।

कर्ज के नाम पर बनाया गया बंधुआ मजदूर
राजस्थान में फंसे मजदूर नीरज ने बताया कि नवंबर 2025 में ठेकेदार पहलवान उर्फ प्रदीप उन्हें कर्ज और एडवांस का लालच देकर ट्रक के जरिए श्रीगंगानगर ले गया था। वहां पहुंचने पर मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। विरोध करने पर भट्ठा मालिक सुखबीर और ठेकेदार द्वारा लाखों रुपये का कर्ज बताकर धमकाया जाता था। मजदूरों का आरोप है कि घर जाने की बात करने पर मारपीट, गाली-गलौज और बच्चों समेत भट्ठे में झोंक देने की धमकी दी जाती थी।

हरियाणा में भी मजदूरी के नाम पर शोषण
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फंसे रमेश और अन्य तीन परिवारों के 12 लोगों को भी नवंबर 2025 में जमादार दिलीप एडवांस देकर ले गया था। आरोप है कि कर्ज की रकम पूरी होने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और लगातार बिना पैसे के काम कराया जाता रहा।
शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई

चार और पांच जून 2026 को मामले की जानकारी मिलने के बाद असंगठित मजदूर मोर्चा ने प्रभावित परिवारों से संपर्क किया। आठ जून को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंगार ने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। पत्र में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, एससी-एसटी एक्ट और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।

12 जून को मुक्त हुए मजदूर, 14 जून को पहुंचे घर
लगातार पत्राचार और अधिकारियों से बातचीत के बाद 10 और 11 जून को स्मरण पत्र भेजे गए। इसके बाद 12 जून को प्रशासनिक टीम गठित कर सभी 18 मजदूरों को मुक्त कराया गया। 14 जून को सभी मजदूर अपने गृह जनपद बांदा के बबेरू और आसपास के क्षेत्रों में सकुशल पहुंच गए।

पुनर्वास और मुक्ति प्रमाण पत्र का इंतजार
असंगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंगार ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बंधुआ मजदूरी कानून का पूरी तरह पालन नहीं किया। उनका कहना है कि मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा और मुक्ति प्रमाण पत्र दिए बिना ही घर भेज दिया गया। उन्होंने बुंदेलखंड के मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न मिलने के कारण मजदूरों को पलायन करना पड़ता है।

वहीं लेबर डेवलपमेंट फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवानदास सिंह यादव ने कहा कि मुक्त कराए गए मजदूरों का पुनर्वास नहीं होने से वे दोबारा पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करे और बच्चों को शिक्षा से जोड़े तो बाल एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रभावी

रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल सभी मुक्त मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें अब भी पुनर्वास सहायता और मुक्ति प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है।

Patrika, Online News, 15/06/2026

Source: https://www.patrika.com/sagar-news/demand-for-a-high-level-judicial-inquiry-20666487

सागर
प्रेसवार्ता: मकान तोड़ने की उच्च स्तरीय न्यायायिक जांच कराने की मांग

सागर रेलवे गेट पर बने अंडरब्रिज से रेलवे लाइन किनारे का पिछले दिनों हटाया गया है अतिक्रमण, लोगों का आरोप रेलवे ने नजूल की जगह से भी हटाया अतिक्रमण
सागर Sachendra Tiwari Jun 14, 2026

बीना. सागर गेट स्थित अंडरब्रिज के पास से रेलवे लाइन किनारे बने मकानों को रेलवे ने अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया है। इस मामले में कांग्रेस के विधानसभा सह प्रभारी महेंद्र कुमार नवैया और जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस ग्रामीण एड. उमा महेंद्र नवैया ने प्रेसवार्ता कर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रेलवे और प्रशासन की कार्रवाई से करीब 40 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, विधवा, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई है। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, कलेक्टर, एसडीएम, जीएम पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, डीआरएम से शिकायतें की हैं। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जीवन एवं संपत्ति से जुड़े मामले में 48 घंटे के भीतर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन रेलवे ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और इसी बीच मकानों को तोड़ दिया गया। यदि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई हुई है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए। साथ ही रेलवे यह भी स्पष्ट करे कि किस वर्ष के नक्शे और अभिलेखों के आधार पर सीमांकन किया है। क्योंकि कई प्रभावित परिवारों के पास रजिस्ट्री, पट्टे, नजूल अभिलेख, नगर पालिका की कर रसीदें, बिजली और पानी कनेक्शन के दस्तावेज उपलब्ध हैं। यदि भूमि रेलवे की थी तो नगर पालिका करीब 60 वर्षों से कर किस आधार पर वसूल रही थी, इसकी जांच की जाए। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, रेलवे की आगे की कार्रवाई रोकी जाए, वर्ष 1886-1889 के मूल रिकॉर्ड के आधार पर पुन: सीमांकन कराया जाए, संयुक्त सर्वे कराया जाए। इस अवसर पर अशोक परिहार, ओमप्रकाश पंजाबी पासू, नरेंद्र ठाकुर, प्रमोद राय सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक सप्ताह में मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

बीस फीट चौड़ा मार्ग छोड़ा जाए
इसके अतिरिक्त जिन मकानों का निकास रेलवे लाइन की तरफ हैं, उनके लिए कम से कम 20 फीट चौड़ा मार्ग छोडकऱ पक्की सडक़ बनाई जाए। प्रभावित परिवारों को पेयजल, बिजली, शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रत्येक प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा, वैकल्पिक भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की है।

Source: https://www.amarujala.com/haryana/kurukshetra/walkathon-at-brahmasarovar-purushottampura-bagh-today-kurukshetra-news-c-45-1-kur1009-156356-2026-06-15

Hindi News › Haryana › Kurukshetra News › Walkathon at Brahmasarovar Purushottampura Bagh today.

Kurukshetra News: ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में वॉकथॉन आज
Amar Ujala Bureauअमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jun 2026 01:41 AM IST

कुरुक्षेत्र। योग युक्त नशा मुक्त प्रदेश के विषय को लेकर 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग व जिला प्रशासन की तरफ से आज सुबह छह बजे ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग से वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा होंगे।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि वॉकथॉन में सुबह छह बजे सैकड़ों की संख्या में नागरिक खिलाड़ी, युवा व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वॉकथॉन को पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 से 18 जून को द्रोणाचार्य स्टेडियम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को प्रोटोकॉल योगा का प्रशिक्षण सुबह छह बजे दिया जाएगा। इस शेड्यूल के अनुसार 19 जून को योग पर एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन आयुष विश्वविद्यालय के सभागार में प्रस्तावित है। इस बार योग दिवस का विषय योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा रहेगा।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए उठाया जा सकता है एक लाख से अधिक का लाभ
कुरुक्षेत्र। केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। अंत्योदय परिवार जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम है व जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट तक है, वे दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर भारत सरकार की ओर से 60 हजार रुपये व हरियाणा सरकार की ओर से 50 हजार रुपये अनुदान यानी कि कुल 1.10 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिन परिवारों की सालाना आय तीन लाख रुपये तक है व जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट तक है वो परिवार दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार की ओर से 60 हजार रुपये व प्रदेश सरकार की ओर से 20 हजार रुपये का अनुदान यानी 80 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तीन किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर भारत सरकार की ओर से 78 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए 30 तक करें आवेदन
कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 12वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में संवेदनशीलता विकसित करने का एक उत्कृष्ट मंच है, इसमें जिले के युवाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिक अपनी लघु फिल्में 30 जून तक गूगल ड्राइव के माध्यम से एनएचआरसीएसएचओआरटीएफआईएलएम एट जीमेल डॉट कॉम पर भेज सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि देश का कोई भी नागरिक, किसी भी आयु वर्ग का प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। फिल्म हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में बनाई जा सकती है, जबकि गैर-अंग्रेजी फिल्मों के लिए अंग्रेजी सब-टाइटल अनिवार्य होंगे। फिल्म की अवधि न्यूनतम तीन मिनट और अधिकतम 10 मिनट निर्धारित की गई है।

शाहाबाद के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में 18 जून तक लगेगा जन कल्याण शिविर : एसडीएम
शाहाबाद। क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में 18 जून तक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धि पर आधारित प्रदेशभर में योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए अभियान चलाया हुआ है, इसके अंतर्गत सभी विभागों की गतिविधियों व कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने हैं।
एसडीएम शंभू राठी ने कहा कि क्षेत्र के विश्राम गृह में सुबह नौ बजे से प्रदर्शनी व सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इनमें नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना, प्रधानमंत्री सूर्य घर, प्रधानमंत्री स्वनिधि, लखपति दीदी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, आजीविका मिशन ग्रामीण एवं शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी, अमृत योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को शामिल किया जाएगा। नागरिक इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मौके पर ही पात्र नागरिकों के आवेदन भी करवाए जाएंगे।

राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रोजगार मेला कल

कुरुक्षेत्र। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में 16 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में जानी मानी 50 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और योग्य प्रार्थियों का चयन करेंगे। जिला रोजगार अधिकारी सीमा सैनी ने कहा कि मेले में लगभग 50 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे।

इन कंपनियों में आईएसजीईसी यमुनानगर, कंधार बेवरेजेज साहा, डेंसो हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड, होंडा एम/साइकिल लिमिटेड मानेसर, हीरो मोटोकॉर्प, स्वराज इंजन्स लिमिटेड, एलेना ऑटो इंडस्ट्रीज, मोहाली, जेबीएल लिमिटेड गुरुग्राम, हरियाणा मिल्क फूड पिहोवा, करनाल मोटर कुरुक्षेत्र, सेन्स पेपर मिल पिहोवा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पुखराज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कंपनियां योग्य प्रार्थियों का चयन करेंगी। इस रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, आईटीआई व अन्य डिप्लोमा व डिग्री होल्डर प्रार्थी भाग ले सकेंगे।

Source: https://jantaserishta.com/local/himachal-pradesh/srinagar-the-human-rights-commission-has-initiated-an-investigation-into-the-attacks-4754788

Srinagar मानवाधिकार आयोग ने हमलों की जांच शुरू की
Kiran14 June 2026 1:13 PM

Srinagar श्रीनगर जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों और छात्रों के साथ उत्पीड़न, भेदभाव और हमलों की कथित घटनाओं का संज्ञान लिया है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि आयोग ने JKSA की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया है। यह शिकायत कई राज्यों में कश्मीरी व्यापारियों और छात्रों को कथित तौर पर डराने-धमकाने, उत्पीड़न, सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाने और शारीरिक हमले जैसी घटनाओं के बारे में थी।

JKSA के अनुसार, यह शिकायत इस साल की शुरुआत में उसके राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिली घटनाओं की खबरों के बाद दर्ज कराई थी। एसोसिएशन ने कहा, "शिकायत में उन घटनाओं का ज़िक्र किया गया है जिनमें कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर कथित तौर पर हमले किए गए, उन्हें धमकाया गया, अपमानित किया गया, अपना व्यापार करने से रोका गया और कुछ मामलों में उन्हें उन इलाकों से जाने के लिए मजबूर किया गया जहाँ वे दशकों से शांतिपूर्वक रह और काम कर रहे थे। कई कश्मीरी छात्रों ने भी रहने की जगह न मिलने, सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाए जाने, डराने-धमकाने और शारीरिक धमकियों की शिकायत की।"

JKSA ने कहा कि यह घटनाक्रम उन घटनाओं के महीनों बाद हुआ है जिनमें अलग-अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को कथित तौर पर बार-बार हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बयान में कहा गया, "JKSA द्वारा अलग-अलग राज्य प्रशासनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सामने बार-बार बात रखने के बावजूद, कई प्रभावित लोग डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे; कई व्यापारियों को अपना कारोबार बंद करके घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

एसोसिएशन ने कहा कि उम्मीद है कि NHRC संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी करेगा और शिकायत में बताई गई घटनाओं पर संबंधित प्रशासनों और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा। इन रिपोर्टों में दर्ज FIR, गिरफ्तारियों, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अधिकारियों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों और उन राज्यों में रहने वाले कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी शामिल होने की संभावना है।

Source: https://4pm.co.in/8-students-died-one-after-the-other-still-the-system-has-not-changed/177665

एक के बाद एक 8 छात्रों की मौत, फिर भी नहीं बदला सिस्टम, सवालों के घेरे में SRMS मेडिकल कॉलेज

बरेली में राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की दहलीज़ पर खामोश हुई 8 चीखे, 16 साल मे 8 मौते, सिस्टम कब जागेगा ?
4PM News DeskJune 14, 2026

4पीएम न्यूज नेटवर्क: बरेली में राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की दहलीज़ पर खामोश हुई 8 चीखे, 16 साल मे 8 मौते, सिस्टम कब जागेगा ?

श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक बार फिर रैगिंग को लेकर सुर्खियों में है। 2 मई को कॉलेज में एमडी मेडिसिन प्रथम वर्ष के एक छात्र ने रैगिंग व कॉलेज प्रशासन की घोर लापरवाही से परेशान होकर कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया।

छात्र को गंभीर हालत में कॉलेज के ही ICU में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।घायल छात्र के पिता की तहरीर पर थाना भोजपुरा मे कालेज प्रशासन सहित 4 डॉक्टरों पर मुक़दमा दर्ज किया गया है.

गौरतलब है कि श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज मे ये कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी 8 छात्रों की मौत हो चुकी है और शासन प्रशासन की जाच मे लीपा पोती कर हर मामला आत्महत्या का बता कर फाइल बंद कर दी. किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की आखिर कार क्या बजय रही कि छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे है.
अनन्या दीक्षित के पिता अनादि दीक्षित ने अपनी बेटी के हादसे के बाद कहा था कि आज मेरी बेटी गई, कल किसी और की जाएगी। NHRC, DGP, सबको लिखा। पर SRMS में कुछ नहीं बदला। आज एक और मां का बच्चा ICU में है। पता नहीं कब जागेगा सिस्टम?"

सवाल सिर्फ कॉलेज से नहीं है। सवाल बरेली पुलिस से है जिसने 8 केसों में रैगिंग की धारा नहीं लगाई। सवाल NMC से है जो हर साल निरीक्षण कर 'ऑल ओके' की रिपोर्ट देता है। सवाल हमसे है – क्या हम अगले किसी छात्र' के हादसे का इंतजार कर रहे हैं?
मृतक अनन्या के पिता अनादि दीक्षित ने कॉलेज पर रैगिंग और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। NHRC के नोटिस के 7 साल बाद भी कॉलेज में रैगिंग नहीं रुकी। 2 मई की घटना 9वां मामला है। इससे साफ है कि कॉलेज का 'जीरो टॉलरेंस टू रैगिंग' का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित है।

राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मे हादसों पर एक नज़र:- 1-18-9-2002 को एसआरएमएस कॉलेज में योगेश मिश्रा नाम के द्वितीय वर्ष के छात्र की कथित रूप से जहर खाने से मौत हो गई।

2-1-7-2011 को एमबीबीएस अंतिम वर्ष की गाजियाबाद की छात्रा अनिका सिंघल फंदे से लटकती पाई गई। 3-27-12-2013 को दीपक त्रिपाठी नाम के छात्र ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

4-10-1-2013 एसआरएम के द्वितीय वर्ष का छात्र सय्यद हसन मेंहदी संदिग्ध हालात में मृत पाया गया। 5-28-5-2015 को तृतीय वर्ष की छात्रा प्रियंका सिंह गर्ल्स हॉस्टल में फंदे से लटकती पाई गई।

6-12-7-2016 को प्रथम वर्ष के छात्र यश कुमार अपने हॉस्टल रूम में फंदे से लटकता पाया गया। विसरा रिपोर्ट में जहर खाने की बात सामने आई। 7-6-9-2017 को अनन्या दीक्षित अपने हॉस्टल रूम में फंदे से झूलती पाई गई। यह वाकया उसके कॉलजे में एडमिशन लेने के 12 दिन बाद ही हुआ।

8-18-1-2018 को हर्षित नाम का छात्र संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। 9-2-6-2026 को रैगिंग व कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से परेशान एमडी मेडिसिन के छात्र डॉक्टर आशु ने कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया.

मेडिकल छात्रा अनन्या दीक्षित की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के डीजीपी और बरेली के एसएसपी को तलब किया

था । आयोग ने आदेश दिया था कि श्रीराम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज (एसआरएमएस) में अब तक हुईं मेडिकल छात्रों की मौतों की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाए।

डीजीपी मुख्यालय को दिए नोटिस में आयोग ने कहा है कि अनन्या की मौत के प्रकरण में तत्कालीन एसएसपी बरेली का जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है। एसआरएमएस में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा अनन्या का शव छह सितंबर को कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर चार में पंखे से लटका मिला था।

पुलिस ने मामला खुदकशी का मानकर पोस्टमॉर्टम कराया था, जबकि अनन्या के पिता नोएडा के सेक्टर 63 निवासी अनादि दीक्षित ने रैगिंग और अनन्या को कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाये थे.

अनन्या के पिता अनादि को जब पता चला कि अनन्या से
पुलिस ने मामला खुदकशी का मानकर पोस्टमॉर्टम कराया था, जबकि अनन्या के पिता नोएडा के सेक्टर 63 निवासी अनादि दीक्षित ने रैगिंग और अनन्या को कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप में भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनादि को जब पता चला कि अनन्या से पहले भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आठ छात्रों की मौत हो चुकी है तो उन्होंने उनके अभिभावकों से संपर्क किया।

अनादि पुलिस के निष्पक्ष जांच न करने और कॉलेज प्रशासन का जांच में अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। इस पर मानवाधिकार आयोग ने चार सप्ताह के अंदर सभी केसों से संबंधित जांच रिपोर्ट तलब की। आयोग ने इस मामले में जारी नोटिस में कहा है कि डीजीपी कार्यालय और एसएसपी बरेली से जांच रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

आयोग ने यह भी कहा है कि पूरे मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दिया था । आज एक और मां का बच्चा ICU में है। पता नहीं कब जागेगा सिस्टम?”16 साल, 9 मामले। हर बार ‘डिप्रेशन’ और ‘आत्महत्या’ कहकर फाइल बंद। हर बार ‘जांच कमेटी’ बनाकर लीपापोती। NHRC के आदेश, UGC के नियम, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन – सब राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गेट पर दम तोड़ देते हैं.